

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
	<p>15 <sup>9</sup>/<sub>25</sub> पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी वासी एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 72/16 उन्वान चतुर्मुख बमाम राता बाबत तमास्मा एवं स्यायी निबेयाजा अरम पैरवी अरम हाजिरी में यासिन क्रिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तम्हील नं. से क्रम ही जाकर राखिल उपरत हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	